न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 32/2017 **दायरा दिनांक : 09.02.2017**

उनवान

रामप्रताप पुत्र दल्ला, जाति कहार, निवासी झोपडिया बारां हाल सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल के पास बापजीनगर, बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— मोतीलाल पुत्र दल्ला, जाति कहार, निवासी झोपडिया बारां हाल सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल के पास बापजीनगर, बारां

2— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री ओ पी मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 05.03.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या — 113/2008 निर्णय व डिक्री दिनांक 04.01.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम कल्याणपुरा, तहसील बारां में आराजी खाता संख्या नया 102

पुराना 87 में खसरा नम्बर 253 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 258 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 259 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 260 रकबा 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 261 रकबा 0.25 हेक्टर कुल 5 किता की 0.84 हेक्टर स्थित है जो वादी और प्रतिवादी नम्बर 1 के संयुक्त खाते में दर्ज है । आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा निहित है । प्रतिवादी बिना वादी की सहमति के आराजी के भू खण्ड बनाकर अवैध रूप से बेचना चाहते हैं । वादी अपने हिस्सा पृथक कराना चाहता है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादी का 1/2 हिस्सा पृथक से दर्ज किया जाये और प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.01.2017 को दावा वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी खसरा नम्बर 257 रकबा 1.22 हेक्टर को सम्मिलित नहीं किया है और कुल 5 किता की 0.84 हेक्टर आराजी का ही बंटवारा किया है । खसरा नम्बर 257 रकबा 1.22 हेक्टर के क्रम में पृथक से वाद विचाराधीन है । दोनों दावों को एक साथ सम्मिलित करके निस्तारित करना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया है । वाद संख्या 29/2007 रामप्रताप बनाम मोती लाल को सम्मिलित करते हुए एक साथ निस्तारित करना चाहिए था । खसरा नम्बर 257 रकबा 1.22 हेक्टर के लिए तनकी नम्बर 3 कायम की गई । फिर भी खसरा नम्बर 257 रकबा 1.22 हेक्टर को वाद में सम्मिलित नहीं कर 5 किता की 0.84 हेक्टर के सम्बन्ध में वाद का निस्तारण किया गया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दो दावे लम्बित थे । दोनों को समायोजित कर एक साथ निर्णय पारित करना चाहिए परन्तु एक ही प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है । अब इसमें खसरा नम्बर 257 रकबा 1.22 हेक्टर आराजी को शामिल नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी का बंटवारा नहीं होना देना चाहते हैं । आराजी खसरा नम्बर 257 रेस्पोडेंट की स्वअर्जित आराजी है । रेस्पोडेंट वादी को हिस्सा देना नहीं चाहते हैं । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2062–65 प्रदर्श 1 सलंग्न है जिसमें 5 किता की 0.84 हेक्टर आराजी वादी और प्रतिवादी के संयुक्त खाते में दर्ज है । पत्रावली पर बयान रामप्रताप पी डब्ल्यू 1 चन्द्रकान्ती बाई पी डब्ल्यू 2 कराये गये हैं और प्रतिवादी की ओर से बयान मोतीलाल डी डब्ल्यू 1 कराये गये हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी ने जो जवाबदावा पेश किया है उसमें यह कथन किया है कि विवादित आराजी से लगवा प्रतिवादी

नम्बर 1 की स्वअर्जित आराजी खसरा नम्बर 257 रकबा 1.22 हेक्टर है जिसमें से 0.98 हेक्टर आराजी को प्रतिवादी ने बेचान किया है । वादी ने बिना किसी अधिकार प्रतिवादी नम्बर 1 की स्वअर्जित आराजी को विवादित कर प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्ध दावा पेश किया है जो इस न्यायालय में विचाराधीन है । विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी का कब्जा है साथ ही इसमें यह भी कथन किया है कि 1/2 हिस्से का विधिवत बंटवारा कर प्रतिवादी का खाता पृथक से दर्ज किया जाये । इस प्रकार पत्रावली पर जो राजस्व रेकार्ड सलंग्न किया गया है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी कुल 5 किता की 0.84 हेक्टर है जो पक्षकारों के संयुक्त खाते में दर्ज है । वादी अपने 1/2 हिस्से को पृथक से दर्ज करना चाहते हैं और प्रतिवादी अपने 1/2 हिस्से को पृथक से दर्ज करना चाहते हैं । यदि किसी अन्य आराजी खसरा नम्बर 257 रकबा 1.22 हेक्टर के बाबत कोई वाद पक्षकारों के मध्य लम्बित है तो वह इस वाद की विषय वस्तु नहीं है । इस वाद के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी पक्षकारों के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसके बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.01.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा